नम्बर व ...
अहकाम जो ...
की तामील ...

राजस्व वाद संख्याः–05/2024
दुर्गावती बनाम केशरदेव वगै0
निर्णय दिनांकः– 25.04.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 05/2024

01. श्रीमती दुर्गावती यादव पत्नी रतनसिंह, आयु 70 वर्ष, जाति अहीर (यादव) निवासी जखाला, तहसील कौशली, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) व निवासी कासनी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

..............आवेदक

बनाम

01. केशरदेव पुत्र हनुमान प्रसाद, आयु वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
02. वेदप्रकाश पुत्र रामनिवास, आयु वयस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं 21 ब्राह्मणों का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
03. जगदीश प्रसाद पुत्र सांवल जाति ब्राह्मण, निवासी ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
04. विमल कुमार पुत्र सांवल जाति ब्राह्मण, निवासी ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
05. अनिल कुमार पुत्र श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
06. विजय कुमार पुत्र श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
07. मनोज कुमार पुत्र श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
08. संदीप कुमार पुत्र श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
09. श्रीमती द्रोपती देवी पत्नी स्व. श्री चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू
10. मु० प्रेमलता पुत्री श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
11. मु० रेखा पुत्री श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
12. मु० सीमा पुत्री श्री स्व. चोथमल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 21 ब्राह्मणो का मोहल्ला सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू ।
13. अमित पुत्र पुत्र स्व. पवन कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.21 ब्राह्मणों का मोहल्ला, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)
14. मु० प्रियंका पुत्री स्व. पवन कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.21

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

ब्राह्मणों का मोहल्ला, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

15. श्रीमती मोहना देवी स्त्री स्व. पवन कुमार जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.21 ब्राह्मणों का मोहल्ला, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं (राज०)

16. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

17. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरियें तहसीलदार तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 521 रकबा 2.82 हैक्टर सरहद ग्राम कासनी स्थित है जो आवेदिका की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है।

यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 854 / 582 रकबा 2.33 हैक्टर सरहद ग्राम कासनी स्थित है। जो अनावेदक सख्या 1 व 2 की कोटिनेन्सी की कृषि भूमि है।

यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 855 / 582 रकबा 1.45 हैक्टर सरहद ग्राम कासनी स्थित है। जो अनावेदक संख्या 1 की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है।

यह कि जमीन हाल खसरा नम्बर 583 रकबा 1.10 हैक्टर सरहद ग्राम कासनी स्थित है जो अनावेदकगण संख्या 2 लगायत 15 की कोटिनेन्सी की कृषि भूमि है।

यह कि जमीन वर्णित धारा 01 आवेदन पत्र आवेदिका की खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के पश्चिम दिशा की सीमा पर रेल्वे लाईन है और आवैदिका की उक्त कृषि भूमि में कोई कटानी रास्ता नहीं लगता तथा न ही कोई वैकल्पिक रास्ता लगता है। आवेदिका को अपनी उक्त कृषि भूमि को लाट—बाट करने के लिए ट्रेक्टर, ऊंटगाड़ा आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है।

आवेदिका की उक्त कृषि भूमि के नजदीक से नजदीक रास्ता हाल खसरा नम्बर 1103 / 581 रकबा 0.1160 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता ड्डाल खसरा नम्बर 854 / 582 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे कटानी रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते से हाल खसरा नम्बर 854 / 582 व 855 / 582 के उतरी सीमा के सहारे—सहारे हाल खसरा नम्बर 583 के पूर्वी सीमा से होते हुए आवेदिका की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 521 के दक्षिणी पूर्वी कोने में लगता है। जिसको आवेदन पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे मे "ABC" से दर्शाया गया है। आवेदिका की कृषि भूमि के उक्त नजरी नक्शे मे दर्शित "A B C" रास्ता के अलावा नजदीक व सुविधाजनक अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। आवेदिका को अपनी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 521 के लाट—बाट करने व कृषि भूमि में सिंचाई के साधन लाने व ले जाने के लिए व स्वयं के आने जाने के लिए व ऊंटगाड़ा व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकत है। इस कारण आवेदन पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता "A B C" सबसे नजदीक होने के कारण दिया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह कि आवेदिका की कृषि भूमि के पश्चिमी सीमा पर रेल्वे लाईन है तथा काफी उच्ची उठाकर ब्रॉड गेज लाईन बन गई है तथा उक्त नजरी नक्शे मे दर्ज "A B C" रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता नहीं लगता है। इस कारण आवेदिका की कृषि भूमि को लाट बाट करने व कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व ऊंटगाड़े को लाने व ले जाने के लिए 15 फुट चौडाई के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 24.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 03, 04, 06, 07, 08, 09, 13 की और से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 02.04.2025 नियत की गयी। दिनांक 08.04.2025 को तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । दिनांक 25.04.2025 को तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अनावेदकगण संख्या 03, 04, 06, 07, 08, 09, 13 की और से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा द्वारा तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में सहमति जताई। अनावेदकगण संख्या 01, 02, 05, 10, 11, 12, 14 लगायत 17 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/133 दिनांक 23.04.2025 का अवलोकन किया गया उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतषुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते में खसरा संख्या 854/582 रकबा 2.33 है0, में 1014 वर्ग मी0 व खसरा संख्या 583 रकबा 1.11 है0 में 114 वर्ग मी0 भुमि आती है। दोनो खसरा संख्या में कुल 1128 वर्गमीटर भुमि आती है। इसके अलावा अन्य कोई इससे छोटा मार्ग उपलब्ध नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। इस प्रकार तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/133 दिनांक 23.04.2025 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्षित भूमि खसरा संख्या 854/582 रकबा 2.33 है0, में 1014 वर्ग मी0 व खसरा संख्या 583 रकबा 1.11 है0 में 114 वर्ग मी0 भुमि आती है। दोनो खसरा संख्या 06 मीटर चौडाई का रास्ता में कुल क्षेत्रफल 1128 वर्गमीटर भुमि का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका की कृषि भूमि खसरा संख्या 521 वाके ग्राम कासनी के नजदीक से नजदीक रास्ता हाल खसरा नम्बर 1103/581 रकबा 0.1160 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता डाल खसरा नम्बर 854/582 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे कटानी रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ते से हाल खसरा नम्बर 854/582 व 855/582 के उतरी सीमा के सहारे-सहारे हाल खसरा नम्बर 583 के पूर्वी सीमा से होते हुए आवेदिका की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 521 के दक्षिणी पूर्वी कोने में लगता है। जिसको तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शे मे "ABCD" से दर्शाया गया है। आवेदिका की कृषि भूमि के उक्त नजरी नक्शे मे दर्शित "ABCD" रास्ता के अलावा नजदीक व सुविधाजनक अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। आवेदिका को अपनी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 521 के लाट-बाट करने

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–05 / 2024
दुर्गावती बनाम केशरदेव वगै0
निर्णय दिनांकः– 25.04.2025

व कृषि भूमि में सिंचाई के साधन लाने व ले जाने के लिए व स्वयं के आने जाने के लिए व ऊंटगाड़ा व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। इस कारण तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता "ABCD" सबसे नजदीक होने के कारण दिया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार सुरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य किसी प्रकार की बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी ।। आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़